न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1030–पीबीआर/10 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–6–2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 120/2005–06 अपील.

1– ख्यालीराम (फौत) वारिस
रामस्वरूप (फौत) पुत्र ख्यालीराम वारिस
लालसिंह पुत्र रामस्वरूप

2– दौलतराम (फौत) वारिस
1. गुलाब पुत्र दौलतराम
2. श्रीमती देविका बाई पत्नी स्व. दौलतराम

3– केवलिया (फौत) वारिस
1. रामप्रसाद पुत्र केवलिया
2. गोपाल पुत्र केवलिया
3. वंशी (फौत) केवलिया वारिस
1. मेहरवान पुत्र वंशी
2. प्रीतम पुत्र वंशी
3. मलखान पुत्र वंशी
4. राजू पुत्र वंशी

4– हरदेवा (फौत) वारिस
1. काशीराम पुत्र हरदेवा
2. नत्था पुत्र हरदेवा

5– नादरिया (फौत) वारिस
1. रामचरण पुत्र नादरिया
2. बाबूलाल पुत्र नादरिया
3. पातिराम पुत्र नादरिया

समस्त निवासीगण ग्राम चक सोसा तिघरू
तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती हरकुंअर बाई पत्नी भगवान लाल
निवासी बुजुर्ग रोड डबरा
जिला ग्वालियर .....अनावेदिका

श्री ओ.पी. श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस.के. अवस्थी, अभिषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 30/3/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–6–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका हरकुंअर बाई द्वारा तहसीलदार, डबरा के समक्ष संहिता की धारा 169, 190 एवं 110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम तिघरू परगना डबरा स्थित सर्वे कमांक 9/2 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा है, जो कि त्रुटिवश राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के कॉलम में अब्दुल रज्जाक एवं पट्टेदार के कॉलम में आवेदकगण का नाम दर्ज हो गया है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदिका के पति भगवान लाल को 40–45 वर्ष पूर्व 2000/– रूपये में जुताई के लिए दी गई थी, तब से प्रश्नाधीन भूमि उसके आधिपत्य में होकर वह कृषि कार्य कर रही है, और वह 15 गुना लगान जमा करने के लिए तैयार है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर उसका नामांतरण स्वीकृत किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 4/96–97/अ–46 दर्ज कर दिनांक 4–1–99 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदिका का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–3–2000 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि विधि मान्य प्रक्रिया अपनाकर एवं उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए गुण–दोष के आधार पर आदेश पारित करें । अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 1/99–2000/अ–46 दर्ज कर दिनांक 11–1–02 को आदेश पारित कर पुनः अनावेदिका को भूमिस्वामी सत्व प्रदान किये जाकर राजस्व अभिलेखों में अमल किये जाने के निर्देश दिये गये ।। तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर पुनः प्रथम अपील अनुविभागीय

अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17–10–05 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 14–6–2010 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा बिना आवेदकगण को सूचना दिये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है, और इस स्थिति पर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी कोई विचार नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय में आवेदकगण की ओर से काउंटर क्लैम दिनांक 27–7–2000 को प्रस्तुत किया गया था कि प्रश्नाधीन भूमि पर उन्हें भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये हैं, अतः उन्हें प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी बनाया जाये, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा उस पर विचार नहीं करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि वर्ष 1977 में अनावेदिका के पति भगवान लाल द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि अब्दुल रज्जाक वर्ष 1957 में विदेश चला गया है, और 2000/– रूपये में भूमि दे गया था, परन्तु उसके द्वारा किसी प्रकार की रसीद अथवा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अब्दुल रज्जाक उन्हें भूमि देकर गया था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 18–3–77 को भगवान लाल का कब्जा दर्ज किया गया था, उसमें न तो आवेदकगण को पक्षकार बनाया गया था, और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है, इसलिए वह आदेश उन पर बंधनकारी नहीं है । तर्क में यह भी का गया कि आवेदकगण का नाम आधिपति कृषक की हैसियत से राजस्व अभिलेखों में दर्ज चला आ रहा है, इसलिए उन्हें प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये हैं । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 2–10–51 को जमींदारी इवोलूशन एक्ट अस्तित्व में आया है, जिसकी धारा 38 के अंतर्गत अब्दुल रज्जाक का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है । यह भी कहा गया कि खसरा संवत् 30 में अनावेदिका का नाम दर्ज नहीं है, और संवत् 31 मे फर्जी प्रविष्टि कराई गई है । यह भी कहा गया कि चूंकि कलेक्टर ने खसरे की प्रति प्रदाय करने

पर रोक लगा दी गई थी, इसलिए वह खसरे की की कापी प्रस्तुत नहीं कर सके । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अनावेदिका को भूमिस्वामी अधिकार देने में पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही की गई है, क्योंकि हरकुंअर बाई का नाम खसरों में अधिपति कृषक की हैसियत से दर्ज नहीं है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 4–1–99 को तहसीलदार द्वारा अनावेदिका के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया है, और उसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण साक्ष्य लेकर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया था । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा विधिवत आवेदकगण को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुए आदेश पारित कर अनावेदिका को प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी घोषित किया गया है, और तहसीलदार के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखा गया है, अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसम्मत हैं । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा पट्टे की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है, फोटोकापी प्रस्तुत की गई है, जो कि साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार कर ही आदेश पारित किया गया है ।

प्रत्युत्तर में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधि विपरीत हैं, इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरसत किये जाने योग्य हैं, और साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 एवं 67 के अंतर्गत द्वितीय साक्ष्य ग्राह्य योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि मूल भूमिस्वामी अब्दुल रज्जाक विभाजन के समय भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया । उपरोक्त तथ्य आवेदकगण द्वारा अपने उत्तर में दर्शाया गया है, जिसका विरोध भी उभय पक्ष द्वारा नहीं किया गया है । अतः मूल भूमिस्वामी के पाकिस्तान चले जाने से और उसका विधिक वारिसान भारत में नहीं होने से प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित की जानी चाहिए थी, जो नहीं करने में शासकीय

अधिकारियों से त्रुटि हुई है और शासकीय अधिकारियों की लापरवाही का फायदा उठाकर अनावेदिका द्वारा अधिपति कृषक के आधार पर अत्यधिक विलम्ब से संदेहास्पद दावा प्रस्तुत किया गया है । तहसीलदार द्वारा भी बिना इस तथ्य को प्रमाणित किये कि प्रश्नाधीन भूमि मूल भूमिस्वामी द्वारा अनावेदिका को पट्टे पर दी गई थी या नहीं, अनावेदिका का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज करने का आदेश देने में विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्व में दिनांक 30–5–2000 को आदेश पारित किया जाकर तहसील न्यायालय का आदेश इस आधार पर निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था कि तहसीलदार विधिवत् प्रकिया अपनाये बिना और संहिता के नियमों का पालन किये बिना आदेश पारित किया गया है । इसके बावजूद भी तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 109/110 व 190 के अंतर्गत बने नियमों का बिना पालन किये एवं बिना प्रश्नाधीन भूमि अनावेदिका को पट्टे पर प्राप्त होने के तथ्य को प्रमाणित किये आदेश पारित किया गया है, जो कि अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । चूंकि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय के विधि विपरीत आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिये उनके आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । जैसाकि उपर विश्लेषण किया गया है कि मूल भूमिस्वामी भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया है, और उसका कोई विधिक वारिसान भारत में मौजूद नहीं है, इसलिये प्रश्नाधीन भूमि घोषित होनी चाहिए थी, अतः आवेदकगण का भी प्रश्नाधीन भूमि पर कोई हक नहीं बनता है । वैसे भी आवेदक ने भी उसको मूल भूमिस्वामी से प्रश्नाधीन भूमि पट्टे पर मिलने का कोई प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, न ही प्रश्नाधीन भूमि उसके कब्जे में है, अतः इस आधार पर भी उसको मौरूषी कृषक के कोई हक उत्पन्न नहीं होते हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–6–2010, अनुविभागीय अधिकारी 30–3–2000 व 17–10–2005 एवं तहसीलदार डबरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–1–99 व 11–1–02 निरस्त किये जाकर प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर